उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः /VII-I /2018/14(सिडकुल)/2015
देहरादून :दिनांक 07 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक, राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) के पत्र संख्या–771/सिडकुल/प्र0नि0/2017, दिनांक 27.12.2017 एवं महाप्रबन्धक, सिडकुल के पत्र संख्या–401/म0प्र0/सिडकुल/2018, दिनांक 09.05.2018 तथा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–273/VII-I/14(सिडकुल)/2015, दिनांक 29.05.2015 द्वारा सिडकुल के संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत सृजित निदेशक (नियोजन) के सम्बन्ध में स्टेट इन्फ्रास्ट्रचर एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के Article of Association के नियम 94 के प्रस्तर (XXI) एवं (XXIII) के अधीन प्रख्यापित स्टेट इन्फ्रास्ट्रचर एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 नियमावली–2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री लोकेश कुमार शर्मा को निदेशक (नियोजन) के पद पर एकमुश्त वेतन रू0 1.80 लाख (रू0 एक लाख अस्सी हजार मात्र) (यदि शासकीय सेवा से सेवानिवृत हों तो देय पेंशन राशि को घटाते हुए) प्रतिमाह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्री लोकेश कुमार शर्मा को निगम द्वारा रू0 1.80 लाख (रू0 एक लाख अस्सी हजार मात्र) एकमुश्त वेतन (यदि शासकीय सेवा से सेवानिवृत हों तो देय पेंशन राशि को घटाते हुए) प्रतिमाह देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगें।
2. श्री लोकेश कुमार शर्मा को अवकाशों की अनुमन्यता, सेवा शर्ते एवं देय सुविधायें सिडकुल में प्रचलित नियमों/आदेशों तथा निर्णय के अधीन होगी।
3. श्री लोकेश कुमार शर्मा की तैनाती निम्नानुसार समाप्त की जा सकेगी:–
   (i) शासन द्वारा एक कलैण्डर माह की लिखित सूचना देकर किसी भी समय यदि शासन की राय में सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापुर्वक निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया हो।
   (ii) शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर शासन का समाधान हो जाता है कि अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक अयोग्य रहने की सम्भावना हो।
   (iii) शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि वह किसी प्राविधान अथवा किसी नियम की अवज्ञा या असंयम के दोषी पाये जाएं।
   (iv) इस अनुबन्ध के अधीन तैनाती के दौरान किसी भी समय इनके द्वारा अथवा शासन द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना देकर, परन्तु इस प्रकार के नोटिस के बदले शासन द्वारा इनको अथवा इनके द्वारा शासन को एक माह के नियत वेतन के समतुल्य राशि का संदाय किया जायेगा।
4. श्री लोकेश कुमार शर्मा द्वारा तदर्थ/अस्थाई/नियमित चयन के लिए कोई मांग नहीं की जायेगी।

683/PS/18
DS(Ind)

निजी सचिव
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग
उत्तराखण्ड शासन

क्रमश..........2

5. श्री लोकेश कुमार शर्मा की तैनाती नितान्त अस्थाई व्यवस्था के तहत है। अतः सिडकुल के अन्तर्गत श्री लोकेश कुमार शर्मा अथवा इनके परिवार के प्रति किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर शासन/निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
6. अनुबन्ध अवधि के दौरान श्री लोकेश कुमार शर्मा द्वारा तैयार/प्राप्त किये गये अभिलेख निगम की सम्पत्ति होंगे।
7. श्री लोकेश कुमार शर्मा की लापरवाही, अवसावधानी आदि कारणों से निगम को होने वाली हानी/क्षति के लिये वे स्वंय जिम्मेदार होगें। ऐसी हानि/क्षति का आंकलन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा, जिसका निर्णय इनके ऊपर बाध्यकारी होगा।
8. कोई भी विवाद स्थानीय कानून से नियंत्रित होगा।
9. किसी ऐसे मामलें के सम्बन्ध में, जिसके लिये इस कार्यालय ज्ञाप में कोई प्राविधान नही किये गये है, उसके सम्बन्ध में शासन का विनिश्चय अंतिम होगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 385 (1)/VII-I/2018/1[illegible]/[illegible] तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः–

1–निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2–निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
5–महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7–श्री लोकेश कुमार शर्मा, 37/3 इन्कमटैक्स लेन, 15/2, सुभाष रोड़, देहरादून–248001
8–विभागीय आदेश पुस्तिका।

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।